

FORM NO. 03
फॉर्म अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर जिला भीलवाडा

अनवान

जबाबत लाव् इन्जि बनाम तलाक़ दाव 10487

किस्म मुकदमा धारा 21(1) मु0न0 3 राग 22

हुवम या फायदाही मय इनिशियलस जज

नम्वर व तारीख जी इस हुवम की तामिल में जारी हुई

21/2/22

पत्रावली पेश हुई। वादी/वादीगण का वाद पत्र प्रार्थी/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 21(1) के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण/विपक्षीगण को सम्मन मय नकल जारी हो। पत्रावली बाद तामिल तकमील वास्ते जवाब प्रतिवादीगण/विपक्षीगण दिनांक 8/3/22 को पेश हो।

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाडा

8/3/22

पत्रावली पेश हुई। वादी/वादीगण का वाद पत्र प्रार्थी/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 21(1) के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण/विपक्षीगण को सम्मन मय नकल जारी हो। पत्रावली बाद तामिल तकमील वास्ते जवाब प्रतिवादीगण/विपक्षीगण दिनांक 8/3/22 को पेश हो।

30/3/22

पत्रावली पेश हुई। वादी/वादीगण का वाद पत्र प्रार्थी/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 21(1) के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण/विपक्षीगण को सम्मन मय नकल जारी हो। पत्रावली बाद तामिल तकमील वास्ते जवाब प्रतिवादीगण/विपक्षीगण दिनांक 20/4/22 को पेश हो।

20/4/22

पत्रावली पेश हुई। वादी/वादीगण का वाद पत्र प्रार्थी/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 21(1) के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण/विपक्षीगण को सम्मन मय नकल जारी हो। पत्रावली बाद तामिल तकमील वास्ते जवाब प्रतिवादीगण/विपक्षीगण दिनांक 11/5/22 को पेश हो।

11/5/22

पत्रावली पेश हुई। वादी/वादीगण का वाद पत्र प्रार्थी/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 21(1) के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण/विपक्षीगण को सम्मन मय नकल जारी हो। पत्रावली बाद तामिल तकमील वास्ते जवाब प्रतिवादीगण/विपक्षीगण दिनांक 26/5/22 को पेश हो।



तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इतिशियत्वा जज

नम्बर व
आह्वान
हुकम की
जारी हुक

26/5/2021 पत्रावली पत्रा इति आदिपत्रा उपस्थित
हे तल्लिल दण रणपुत्र नि 2020
की पालन रिफिटि आल इति
रिफिटि अयले पुन आदिपत्रा को
वरवापु गवत शाहित पत्रावली
रिफिटि गवत पत्रावली में कोर
उपवाही दोष नही लेके नि
पत्रावली केवल 2020 को पुन गवत
हे कर ही

(Signature)

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (मीलवाडा).